शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्र./रा.शि.के./मूल्याकंन/वार्षिक मूल्यांकन/2022–23/5330 भोपाल, दिनांक 12.9.2022

निर्देश क्र. 1

प्रति,

कलेक्टर,
समस्त जिले (म.प्र.)

विषय— प्राथमिक (कक्षा—5) व पूर्व माध्यमिक (कक्षा—8) वार्षिक परीक्षा सत्र 2022—23 आयोजन संबंधी निर्देश।

संदर्भ— 1. विभागीय एकल नस्ती पर प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन क्रं. 2295, दिनांक 02.09.2022
2. राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र क्रं./पा.पु./रा.शि.के./2022/4820, दिनांक 23.08.2022

म.प्र. राजपत्र दिनांक 02.03.2019 अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में किए गए संशोधन के अनुक्रम में प्रत्येक अकादमिक वर्ष के अंत में कक्षा 5 व 8 की नियमित परीक्षा आयोजित किए जाने का प्रावधान है। परीक्षा में निंर्धारित अर्हकारी अंक प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों को पुनः परीक्षा का अवसर दिए जाने तथा पुनः परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को उसी कक्षा में रोके जाने (डिटेंशन पॉलिसी) का प्रावधान है।

सत्र 2021—22 में म.प्र. की समस्त शासकीय शालाओं में अध्ययनरत कक्षा 5 व 8 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर आयोजित की गई थी। शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश की शालाओं में अध्ययनरत बच्चे की शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु वर्तमान सत्र 2022—23 में शासकीय शालाओं के साथ—साथ शासकीय मान्यता प्राप्त समस्त अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं में भी एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर कक्षा— 5 व 8 हेतु बोर्ड पैटर्न पर वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।

1. राज्य शिक्षा केन्द्र के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में परीक्षा संपादित कराई जाएगी। जिला स्तर पर परीक्षा संबंधी आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए जिला परीक्षा समिति का गठन गतवर्ष के अनुसार ही किया जाएगा।

2. **परीक्षा योजना–** परीक्षा के विभिन्न घटकों का अधिभार निम्नानुसार होगा
   - अर्द्धवार्षिक परीक्षा – अधिभार 20 प्रतिशत (पूर्णांक 50)
   - वार्षिक परीक्षा (लिखित) – अधिभार 60 प्रतिशत (पूर्णांक 60)
   - वार्षिक परीक्षा (प्रोजेक्ट कार्य) – अधिभार 20 प्रतिशत (पूर्णांक 20)

2.1 शासकीय शालाओं हेतु अर्द्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन राज्य शिक्षा केन्द्र के द्वारा निर्मित कराए गए प्रश्नपत्रों एवं निर्धारित समय–सारणी अनुसार कराया जाएगा।

2.2 अशासकीय शालाओं द्वारा अर्द्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन शाला स्तर पर राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यक्रम एवं ब्लूप्रिंट आधारित प्रश्न पत्र निर्मित कर राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी समय–सारणी अनुसार कराया जाएगा।

2.3 वार्षिक परीक्षा हेतु कक्षावार, विषयवार, निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार एट–ग्रेड (वर्तमान कक्षा) पाठ्य पुस्तकों के आधार पर लर्निंग आउटकम्स आधारित प्रश्न पत्रों का निर्माण राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा कराया जाएगा। वार्षिक परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम एवं प्रोजेक्ट कार्यों की सूची पृथक से जारी की जाएगी।

2.4 वार्षिक परीक्षा हेतु विषयवार परीक्षा की योजना निम्नानुसार होगी–

<u>2.4.1 प्राथमिक स्तर (कक्षा 5)</u>

विषय	लिखित परीक्षा पूर्णांक	प्रोजेक्ट कार्य पूर्णांक
1. प्रथम भाषा–विशिष्ट (हिन्दी / अंग्रेजी / मराठी / उर्दू)	60	20
2. द्वितीय भाषा– सामान्य अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियो को छोड़कर) अथवा सामान्य हिन्दी (अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियो हेतु)	60	20
3. अतिरिक्त भाषा–सामान्य हिन्दी (यदि मातृभाषा हिन्दी नहीं है) या सामान्य उर्दू / मराठी या अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं में से एक भाषा	60	20
4. गणित	60	20
5. पर्यावरण अध्ययन	60	20

2.4.2 अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को द्वितीय भाषा के रूप में सामान्य हिन्दी एवं हिन्दी, उर्दू एवं मराठी माध्यम के विद्यार्थियों को द्वितीय भाषा के रूप में सामान्य अंग्रेजी का चयन करना अनिवार्य होगा।

माध्यमवार भाषा चयन कक्षा 5 हेतु कुछ उदाहरण निम्न सारणी में दिए गए हैं–

माध्यम	हिन्दी	अंग्रेजी	उर्दू	मराठी
प्रथम भाषा	हिन्दी विशिष्ट	अंग्रेजी विशिष्ट	उर्दू विशिष्ट	मराठी विशिष्ट
द्वितीय भाषा	अंग्रेजी सामान्य	हिन्दी सामान्य	अंग्रेजी सामान्य	अंग्रेजी सामान्य
अतिरिक्त भाषा	-	-	हिन्दी सामान्य	हिन्दी सामान्य

अतिरिक्त भाषा वैकल्पिक है लेकिन अतिरिक्त भाषा विषय लेने की स्थिति में प्राप्तांकों को वार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन एवं परिणाम हेतु जोड़ा जाएगा।

2.4.3 पूर्व माध्यमिक स्तर (कक्षा 8)

विषय	लिखित परीक्षा पूर्णांक	प्रोजेक्ट कार्य पूर्णांक
1. प्रथम भाषा–विशिष्ट (हिन्दी / अंग्रेजी / मराठी / उर्दू)	60	20
2. द्वितीय भाषा– सामान्य अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियो को छोड़कर) अथवा सामान्य हिन्दी (अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियो हेतु)	60	20
3. तृतीय भाषा–संस्कृत / सामान्य हिन्दी / सामान्य उर्दू / सामान्य मराठी	60	20
4. गणित	60	20
5. विज्ञान	60	20
5. सामाजिक विज्ञान	60	20

2.4.4 हिन्दी भाषा का अध्ययन अनिवार्य होगा। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी द्वितीय भाषा के रूप में सामान्य हिन्दी का अध्ययन करेंगे। प्रथम भाषा के रूप में हिन्दी या अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य किसी भारतीय भाषा का चयन किया जाता है तो द्वितीय भाषा सामान्य अंग्रेजी तथा तृतीय भाषा के रूप में सामान्य हिन्दी का अध्ययन अनिवार्य होगा।

माध्यमवार भाषा चयन कक्षा 8 हेतु कुछ उदाहरण निम्न सारणी में दिए गए हैं–

माध्यम	हिन्दी	अंग्रेजी	उर्दू	मराठी
प्रथम भाषा	हिन्दी विशिष्ट	अंग्रेजी विशिष्ट	उर्दू विशिष्ट	मराठी विशिष्ट
द्वितीय भाषा	अंग्रेजी सामान्य	हिन्दी सामान्य	अंग्रेजी सामान्य	अंग्रेजी सामान्य
तृतीय भाषा	संस्कृत / उर्दू / मराठी	संस्कृत / उर्दू / मराठी	हिन्दी सामान्य	हिन्दी सामान्य

2.5 वार्षिक परीक्षा उपरांत कक्षोन्नति हेतु परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित प्रत्येक विषय की लिखित परीक्षा (बाह्य मूल्यांकन) एवं प्रोजेक्ट कार्य (आंतरिक मूल्यांकन) में पृथक्–पृथक् न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। प्रत्येक विषय के बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन में न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त नहीं करने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षाफल घोषणा के उपरांत अनुत्तीर्ण विषयों में अतिरिक्त शिक्षण प्रदान किया जाएगा एवं लगभग दो माह की कालावधि में पुनःपरीक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा।

2.5.1 पुनः परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को उसकी अध्ययनरत् कक्षा में ही वापस रोका जाएगा।

2.5.2 स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बच्चे को स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

3. **परीक्षा शुल्क–** परीक्षा आयोजन हेतु आवश्यक प्रक्रियागत् व्यय यथा प्रश्नपत्र–मुद्रण, वितरण, मूल्यांकन, प्रगति पत्रक तैयार करना, परीक्षा पोर्टल संचालन आदि कार्यों हेतु कक्षावार एवं छात्रवार निम्नानुसार परीक्षा शुल्क का भुगतान शाला द्वारा परीक्षा पोर्टल पर छात्रों के पंजीयन के दौरान ऑनलाईन पेमेंट गेटवे प्रक्रिया से किया जाएगा–

- कक्षा 5 हेतु रू. 50/– प्रतिछात्र
- कक्षा 8 हेतु रू. 100/– प्रतिछात्र

नोट– परीक्षा शुल्क के रूप में कोई भी राशि छात्रों से नहीं ली जाएगी।

4. **परीक्षा संचालन हेतु ऑनलाईन पोर्टल की व्यवस्था–** गतवर्ष की भांति इस वर्ष भी कक्षा 5 व 8 की वार्षिक परीक्षा हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा विकसित आई.टी. प्लेटफार्म (www.rskmp.in) के माध्यम से परीक्षागत् व्यवस्थाएं, यथा छात्र पंजीकरण, छात्र सत्यापन, परीक्षा केन्द्र निर्धारण, मूल्यांकन केन्द्र निर्धारण, परीक्षाफल निर्धारण, प्रगति पत्रक जनरेट करना आदि संपादित की जाएंगी। इसके संबंध में आवश्यक निर्देश पृथक से जारी किये जाएंगे। आई.टी. प्लेटफॉर्म के संचालन हेतु समस्त संबंधित अधिकारियों एवं शाला प्रभारियों का समय–समय पर उन्मुखीकरण किया जाएगा।

5. परीक्षा पद्धति से परिचय कराने तथा विद्यार्थियों को अभ्यास के अधिक अवसर देने हेतु विगत् वर्षों के प्रश्नपत्र, प्रोजेक्ट कार्य तथा प्रश्नबैंक शीघ्र ही समस्त संबंधित शालाओं को उपलब्ध कराये जायेगें।

6. बोर्ड पैटर्न पर वार्षिक परीक्षा की तैयारी हेतु प्री–बोर्ड परीक्षा का आयोजन माह फरवरी/मार्च 2023 में किया जाएगा। इस हेतु समय सारणी पृथक से जारी की जायेगी।

7. वार्षिक परीक्षा का आयोजन माह– मार्च/अप्रैल 2023 में किया जाना संभावित है। इस हेतु समय–सारिणी पृथक् से जारी की जाएगी।

8. वार्षिक परीक्षा संचालन संबंधी विभिन्न गतिविधियों हेतु समय सीमा निर्धारण अथवा अन्य आवश्यक निर्देश पृथक से जारी किये जाएंगे।

(धनराजू एस.) 12/09/2022
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

क्र./रा.शि.के./मूल्याकंन/वार्षिक मूल्यांकन/2022–23/533 भोपाल, दिनांक 12.9.2022

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन।
2. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन।
3. प्रमुख सचिव, जन सम्पर्क विभाग, म.प्र. शासन।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र.।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले म.प्र.।
6. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग म.प्र.।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले म.प्र.।
8. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, समस्त जिले म.प्र.।
9. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जिले म.प्र.।
10. जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले म.प्र.।
10. समस्त संकुल प्राचार्य, शा. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, म.प्र.।
11. बी.आर.सी.सी., समस्त विकासखण्ड म.प्र.।
12. आई.सी.टी. कक्ष राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल, अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

12/09/2022
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल